न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 49/2018

पुष्पादेवी पुत्री मुखराम जाति जाट साकिन चक 31 जी जी तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

—— प्रार्थी

–:बनाम:–

1. मुखराम पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मांगीलाल | पि. मुखराम जाति जाट खोथांवली तहसील पीलीबंगा जिला
3. बलराम | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. पंजाब नेशनल बैंक गोलूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील–पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया —— प्रार्थीया
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 5

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 21/10/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निम्नप्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 3 एक ही हिन्दू खान दान के सदस्य हैं। प्रार्थी का अप्रार्थी नं. 1 मुखराम पिता है व अप्रार्थी नं. 2 व 3 प्रार्थी के भाई जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।.

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 33 एमओडी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 139/166 का प.नं. 36/255 मु.नं. 67 कि.नं. 1/.215 (.038 रास्ता), 2/.215 (.038 रास्ता), 3/.215 (.038 रास्ता), 4/.139 (.038 रास्ता) व (.038 खाला), 5/.013 (.013रास्ता), 7/.013, 8/.177 (.025 खाला), 9 ता 11/0.759, 12/0.164 (.038 खाला), 13/.013 खाला, 19/.013 खाला, 20/.177 (.025खाला), 21/.013खाला; व प.नं. 37/255 मु. नं. 68 कि.नं. 51.228 (.025 रास्ता), कि.नं. 6/.253, 15/.253, 16/.253, 25/.177 (.025खाला), कुल 3.6310 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमि में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है। तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से चालू का खाता सं. 126/121 का प.नं. 21/259 मु.नं. 68 कि.नं. 1 ता 3/.759, 8 ता 13/1.518, 18/.253, 23/.253, की कुल 1.783 हैक्ट. अनकमाण्ड कृषि [illegible] अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 33 एमओडी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2057 से चालू का खाता सं. 88/79 का प. नं. 36/255 मु.नं. 67 कि.नं. 1/.215 (.038 रास्ता), 2/.215 (.038 रास्ता), 3/.215 (.038 रास्ता), 4/.139 (.038 रास्ता) व (.038 खाला), 5/.013 (.013 रास्ता), 7/.013, 8/.177(.025खाला), 9 ता 11/.759, 12/.164(.038खाला), 13/.013खाला, 19/.013खाला, 20/.177 (.025खाला), 21/.013खाला, व प.नं. 37/255 मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न. 68 कि.नं. 5/228(025 रास्ता), कि.नं. 6/253, 15/253, 16/253, 25/.177 (.025खाला), कुल 3.631 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 व 3 का दादा व अप्रार्थी नं. 1 का पिता लाधू वल्द खिवसी जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा के नाम दर्ज राजस्व खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2059 से चालू का खाता सं. 132/129 का प.नं. 21/259 मु.नं. 68 कि.नं. 1 ता 3/.759, 8 ता 13/1.518, 18/.253, 23/.253, की कुल 1.783 हैक्ट. अनकमाण्ड बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 व 3 का दादा व अप्रार्थी नं. 1 का पिता लाधू वल्द खिवसी जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा के नाम दर्ज राजस्व खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 3 का सजरा खान दान निम्न प्रकार से है । सजरा खान दान के अनुसार अप्रार्थी नं. 1 के प्रार्थीया पुत्री व अप्रार्थी नं. 2 व 3 पुत्र है। जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

यह कि प्रार्थी की दफा 2 व 3 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की दफा 4 व 5 में वर्णित अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 2 व 3 का दादा व अप्रार्थी नं. 1 का पिता लाधू वल्द खिवसी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी थी। जिसका 1/3 हिस्सा प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 2 व 3 का पिता यानि अप्रार्थी नं. 1 मुखराम पुत्र लाधू को प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 2 व 3 का दादा लाधू वल्द खिवसी जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा की मृत्यू पश्चात विरासत मे प्राप्त हुई है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की मुताबिक हिन्दू विधि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 3 का मुताबिक हिन्दू विधि ब. हिस्सा बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा पाने की व रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की प्रार्थीया कानूनन हकदार है। जो की जावे व प्रार्थीया का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जावे। व प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ता फैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जावे।

यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की दफा 2 ता 9 में वर्णित अनुसार अपने हक व हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि पर काब्ज काश्त चली आ रहा हैं। जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं। जिन्होने प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि को नाजायज रूप से जबरन रहन, बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने की प्रार्थी को धमकी दी है। जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी करने का व रहन, बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने के हकदार नहीं है। जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निशेधाज्ञा ता फैसला दावा पाने की हकदार है। कि अप्रार्थीगण ता फैसला दावा उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। जबकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के खिलाफ ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] वे कि तहसील पीलीबंगा के चक 33 एमओडी की मुताबिक जमा[illegible] सं. 139/166 का प. नं. 36/255 मु.नं. 67 कि.नं. 1/.215(038 रास्ता) [illegible]/.215(038 रास्ता), 3/.215(.038रास्ता), 4/.139 (.038 रास्ता) व (.038 खाला), 5/[illegible]13 (.013 रास्ता), 7/.013, 8/.177 (.025 खाला), 9 ता 11/.759, 12/.164(.038 खाला), 13/.013 खाला, 19/.013 खाला, 20/.177 (.025खाला), 21/.013 खाला, व प.नं. 37/255 मु.नं. 68 कि.नं. 5/228 (.025रास्ता), कि.नं. 6/.253, 15/.253, 16/.253, 251.177(.025खाला), कुल 3.631 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमि व तहसील पीलीबंगा के चक 29 एम ओ डी की मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:17 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी पीलीबंगा

जमाबन्दी सम्वत् 2071 से चालू का खाता सं. 126/121 का प.नं. 21/259 मु.नं. 68 कि.नं. 1 ता 3/.759, 8 ता 13/1.518, 18/.253, 23/.253, की कुल 1.783 हैक्ट. अनकमाण्ड कृषि भूमि को अप्रार्थीगण ताफैसला दावा रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई एवं प्रश्नगत रकबा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल नोटिस प्राप्त होने पर हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। स्टेट जवाब प्राप्त हो चका है शामिल पत्रावली है मुताबिक स्टेट जवाब राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा बहस में कथन किया गया कि पैतृक कृषि भुमि है जिसमें प्रार्थीया का भी हक व हिस्सा है। विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की मुताबिक हिन्दू विधि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 3 का मुताबिक हिन्दू विधि ब. हिस्सा बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा पाने की व रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की प्रार्थीया कानूनन हकदार है इस लिए अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला स्थाई की जावे।

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 6 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है दिनांक 11.06.2018 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 11.06.2018 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:17 IST
Reason: SelfAttested